UPGK010016412026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–799/2026

सद्दाम अली उम्र 30 वर्ष पुत्र रज्जाक अली साकिन– देवकली, धर्मसेन, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

.............**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–487/2022
धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं०
व धारा 3(1) द, ध SC/ST Act.
थाना–गगहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 13-03-2026

आवेदक/अभियुक्त **सद्दाम अली** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र रज्जाक अली द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी धर्मवीर पासवान पुत्र हरिलाल पासवान ग्राम देवकली धर्मसेन थाना गगहा जनपद गोरखपुर के स्थाई निवासी हूं। प्रार्थी तथा गांव के ही सद्दाम अली पुत्र रज्जाक अली हम दोनों लोग गगहा बाजार में रसिकिसान इंटर कालेज गगहा में मजदूरी कर रहे हैं वहीं पर कुछ कहा सुनी हो गई थी। इसी बात पर दिनांक 28–09–2022 को प्रार्थी घर पर थे कि सद्दाम पुत्र रज्जाकअली, कलाम पुत्र स्व जुमराती व शेराज अली पुत्र कलम व रज्जाक अली की औरत ये लोग मिलकर रात के आठ बजे के लगभग में प्रार्थी को गालियां देते हुए लाठी–डंडों लात घुसों से मारने पीटने लगे। बीच–बचाव में हमारे भाई रवि पासवान तथा हमारे पिता हरि लाल पासवान पुत्र स्व होलई जब आए तो उपरोक्त लोग इन्हें भी मारने पीटने लगे। मारपीट के दौरान हम लोगों को काफी चोटें आई हैं तथा जान से मारने की धमकी दिए।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, रजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्पेसफीक रोल नहीं दिखाया गया है और न ही किसी प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली दिया जाना बताया गया है। प्रार्थी को वादी मुकदमा ने महज गांव के चुनावी रंजिश के नाते फर्जी रूप से फर्जी व मनगढंत कहानी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में फंसा दिया गया है। प्रार्थी ने वादी मुकदमा को न तो मारा–पीटा था न ही गाली–गुप्ता दिया था और न ही जान से मारने की धमकी ही दिया था और न ही किसी प्रकार के जाति सूचक शब्दों का

प्रयोग ही किया है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, आई०पी०सी० व 3(1) (द), (ध) एस०सी०/एस०टी० का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी के मुकदमे में सजा 7 वर्ष से कम है। प्रार्थी के मुकदमे में सह–अभियुक्तगण सेराज नजमा व कलाम की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी के मुकदमें में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 17–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके परिवारीजन को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गुप्ता देते हुए लाठी–डण्डा व लात घुसो से मारने पीटने का अभियोग लगाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा चोटहिलों को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है। चोटहिल रवि पासवान व हरिला पासवान के एक्स–रे रिपोर्ट में NAD अंकित है। पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 17–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की गयी है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सद्दाम अली** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या– 799/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.13 17:09:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court